# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

## पीठासीन अधिकारी डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या– 68/2018
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–14.08.2018
निर्णय दिनांक–12.03.2020

**काना पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना, तह0 पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)**

**प्रार्थी**

**बनाम**

**तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (राज.)**

**अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट**

## निर्णय

**दिनांकः–12.03.2020**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 823 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मुमाना तह0 पीपलू जिला टोंक मे स्थित हैं। जिसका वर्णन जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 103 में हैं। इसमें सहवन से प्रार्थी काना पुत्र बन्ना के स्थान पर बद्री पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना तहसील पीपलू अंकित किया गया है जो त्रुटी पूर्ण है एवं दुरस्त किये जाने योग्य हैं उक्त त्रुटी संहवन से जमाबन्दी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में बद्री पुत्र काना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना जरिये सरपरस्ती/संरक्षक पिता बन्नालाल अंकित हैं जो कि वर्षो से चला आ रहा हैं परन्तु अब प्रार्थी नाबालिग नहीं रहा बल्कि अब बालिग होकर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हैं। प्रार्थी के बालिग होने के बाद भी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग लिखा हुआ है जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसकी जॉच की जाकर स्वतः ही बालिग होने का अंकन किया जाना आवश्यक एवं उचित न्याय संगत था। प्रार्थी का पिता अनपढ़ ग्रामीण काश्तकार था एवं प्रार्थी भी अनपढ़ ग्रामीण एवं कानून से अनभिज्ञ काश्तकार व्यक्ति हैं। जिसका नाम वर्षो पहले जब प्रार्थी नाबालिग था उस समय संहवन से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम काना पुत्र बन्ना के स्थान पर बद्री पुत्र बन्ना अंकित करवा दिया क्योंकि उस समय प्रार्थी नाबालिग था एवं प्रार्थी का पिता अनपढ़ काश्तकार था। प्रार्थी वर्तमान जमाबंदी में संशोधन करवारक बद्री पुत्र बन्ना के स्थान पर काना पुत्र बन्ना बतौर खातेदार के अंकित करवाने एवं जमाबंदी में से बतौर संरक्षक/सरपरस्ती बन्ना के इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी हैं। क्योंकि इसके अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग एवं अन्य प्रकार से इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना कर रहा है। ग्राम मुमाना के बन्ना जाति जाट के प्रार्थी एकमात्र पुत्र हैं। उसके बद्री नाम का पुत्र भी नहीं है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने की आज्ञा पारित करते हुए जमाबंदी में अंकित बद्री पुत्र बन्ना के स्थान पर काना पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना अंकित करने का तथा उक्त जमाबंदी में से संरक्षक/सरपरस्ती बन्ना जाति जाट के इन्द्राज को हटाये जाने की प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 103, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत काशीपुरा, राशनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ मौखिक साक्ष्यों के रूप में पी.डब्ल्यू.–1 स्वयं प्रार्थी, पी.डब्ल्यू.–2 रामलाल, पी.डब्ल्यू.–3 नाथूलाल, पी.डब्ल्यू.–4 अम्बालाल, पी.डब्ल्यू.–5 गोपाल को परिक्षित करवाया।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। हमने बहस अभिभाषक सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दौहरान करते हुए कहा कि आराजी ख0न0 823 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम मुमाना तह0 पीपलू में स्थित हैं। जिसका वर्णन जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 103 में हैं। इसमे संहवन से प्रार्थी काना पुत्र बन्ना के स्थान पर बद्री पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना तह0 पीपलू अंकित किया गया हैं। जो त्रुटी पूर्ण हैं एवं दुरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त त्रुटी संहवन से जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में बद्री पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना जरिये सरपरस्ती/संरक्षक पि0 बन्नालाल अंकित हैं। जो वर्षो से चला आ रहा हैं परन्तु अब प्रार्थी नाबालिग नही रहा हैं बल्कि बालिग होकर 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हैं। प्रार्थी के बालिग होने के बाद भी आज तक राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग लिखा हुआ हैं जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा इसकी जॉच की जाकर स्वतः ही बालिग होने का अंकन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत था। प्रार्थी का पिता अनपढ़ ग्रामीण काश्तकार था एवं प्रार्थी भी अनपढ़ ग्रामीण में कानून से अनभिज्ञ काश्तकार व्यक्ति हैं। प्रार्थी वर्तमान जमाबंदी में संशोधन करवाकर बद्री पुत्र बन्ना के स्थान पर काना पुत्र बन्ना बतौर खातेदार के अंकित करवाने एवं जमाबंदी में से संरक्षक/सरपरस्ती बन्ना के इन्द्राज को हटवाने का अधिकारी हैं। क्योंकि इसके अभाव मे अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग एवं अन्य प्रकार से इस्तेमाल करने में परेशानी का सामना कर रहा हैं। ग्राम मुमाना के बन्ना जाति जाट के प्रार्थी एकमात्र पुत्र हैं। उसके बद्री नाम का पुत्र भी नहीं है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने की आज्ञा पारित करते हुए जमाबंदी मे अंकित बद्री पुत्र बन्ना के स्थान पर काना पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना अंकित करने तथा उक्त जमाबंदी में से जरिये संरक्षक/सरपरस्ती बन्ना जाति जाट के इन्द्राज को हटाये जाने की प्रार्थी द्वारा निवेदन किया तथा अपनी बहस के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता संख्या 103, प्रमाण–पत्र सरपंच ग्राम पंचायत काशीपुरा, राशनकार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ–साथ मौखिक साक्ष्यों के रूप में पी.डब्ल्यू.–1 स्वयं प्रार्थी, पी.डब्ल्यू.–2 रामलाल, पी.डब्ल्यू.–3 नाथूलाल, पी.डब्ल्यू.–4 अम्बालाल, पी.डब्ल्यू.–5 गोपाल को परिक्षित करवाया।

हमने बहस अभिभाषक पर मनन करते हुए पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में चल रही त्रुटी एक सद्भाविक एवं संहवन से हुई त्रुटी स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है तथा पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों से यह भी सिद्ध है कि प्रार्थी पूर्ण रूप से बालिग हो चुका हैं। इन कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने के फलस्वरूप

उपखण्ड अधिकारी

स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार पीपलू को आदेश दिये जाते हैं कि जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 103 मे वर्णित भूमि ख0न0 823 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय ग्राम मुमाना पटवार हल्का काशीपुरा तह0 पीपलू में अंकित बद्री पुत्र बन्ना जाति जाट के स्थान पर काना पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम मुमाना अंकित करने का तथा उक्त जमाबंदी मे नाबालिग सरपरस्ती पि0 बन्ना का अंकन हटाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार, पीपलू को पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक **12.03.2020** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)